

स्वीकार्य केवायसी दस्तावेज

क्रम सं	स्वीकार्य केवायसी दस्तावेज	पहचान (आई) प्रमाण	हस्ताक्षर (एस) प्रमाण	वर्तमान पते(ए) का प्रमाण
1.	पासपोर्ट	हाँ	हाँ	हाँ
2.	पैन कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
3.	मतदाता पहचान पत्र (आईडी कार्ड)	हाँ	नहीं	हाँ
4.	ड्राइविंग लाइसेंस	हाँ	नहीं	हाँ
5.	सरकारी विभाग / रक्षा विभाग/ पुलिस विभाग/ पीएसयू विभाग का आईडी कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
6.	भारतीय डाक आईडी	हाँ	हाँ	नहीं
7.	पेंशन बुक / कार्ड	हाँ	हाँ (यदि उसमें शामिल हो)	नहीं
8.	कर्मचारी आईडी कार्ड (कॉर्पोरेट वेतन खाते के लिए)एक पहचान प्रमाण के साथ	हाँ	हाँ	नहीं
9.	फोटो क्रेडिट कार्ड	हाँ	हाँ	नहीं
10.	महिला के लिए विवाह प्रमाणपत्र /निकाहनामा (विवाह पूर्व नाम के पहचान के दस्तावेज और पति के पते के वैध प्रमाण के साथ)	हाँ	नहीं	हाँ
11.	रक्षा कर्मचारी पर आश्रित होने का कार्ड	हाँ	नहीं	हाँ
12.	रक्षा कर्मचारियों को जारी किया गया भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी कार्ड	हाँ	नहीं	नहीं
13.	आईएसए के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में जारी नागरिकता कार्ड, यदि यह ब्योरे कार्ड पर उपलब्ध हों	हाँ	हाँ	हाँ
14.	नवीनतम वर्तमान बैंक खाता विवरण अथवा पासबुक जिसमें पते का उल्लेख हो	नहीं	हाँ	हाँ
15.	राशन कार्ड	नहीं	नहीं	हाँ
16.	नवीनतम क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट	नहीं	नहीं	हाँ
17.	नवीनतम बिजली बिल	नहीं	नहीं	हाँ
18.	नवीनतम टेलीफोन बिल	नहीं	नहीं	हाँ

क्रम सं	स्वीकार्य केवायसी दस्तावेज	पहचान (आई) प्रमाण	हस्ताक्षर (एस) प्रमाण	वर्तमान पते(ए) का प्रमाण
19.	जीवन बीमा निगम अथवा बीमा प्रीमियम रसीद की नवीनतम प्रति	नहीं	नहीं	हाँ
20.	एनएससी की नवीनतम प्रति	नहीं	नहीं	हाँ
21.	डाक भेजने के लिए वर्तमान पता प्रमाणित करते हुए नियोक्ता का पत्र – केवल प्रायवेट लि. और पब्लिक लि. कंपनियों के लिए	नहीं	नहीं	हाँ
22.	वर्तमान मकान का स्टैम्प पेपर पर पंजीकृत वैध लीज करार(किराए के / पट्टे पर लिए गए आवास अथवा मकान बदलने/स्थानांतरण के मामले में)	नहीं	नहीं	हाँ
23.	एक राजपत्रित अधिकारी के स्तर के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी जैसे जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त, बीडीओ, तहसीलदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि का पत्र	नहीं	नहीं	हाँ
24.	नगर निगम बिल	नहीं	नहीं	हाँ
25.	ग्रामीण / अर्ध शहरी ग्राहकों के मामले में, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों जैसे ग्राम सेवक, तलाठी अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान / निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते शाखा प्रबंधक उसकी प्रामाणिकता और सही होने के संबंध में संतुष्ट हो	हाँ	नहीं	हाँ
26.	नरेगा के जॉब कार्ड अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार पत्र (केवल छोटे खातों के मामले में लागू) (स्वतः सत्यापित फोटो सहित शाखा प्रमुख की उपस्थिति में हस्ताक्षर लिये जाएं)	हाँ	नहीं	हाँ

टिप्पणी: 1. पते के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज केवल 3 महीने के लिए वैध हैं.

2. यदि खाते सरकारी विभाग/रक्षा विभाग/पोलिस विभाग /पीएसयू उद्यम /भारतीय डाक द्वारा जारी पहचान प्रमाणपत्र अथवा किसी मान्यता प्राप्त लोक प्राधिकरण या स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों के पत्र के आधार पर खोले जाते हैं जैसा कि उपर्युक्त तालिका में उल्लेख किया गया है, तो शाखा प्रमुख/एसओएम द्वारा ऐसे पहचान कार्डों/पत्रों की प्रामाणिकता का अलग से सत्यापन किया जाएगा.